फिक्स्ड डिपॉज़िट के प्रति ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन - पहला पक्ष

अब एफडी बुक कीजिए
60 सेकंड से भी कम समय में
आरबीएल मायबैंक ऐप के साथ
कोई कागजी कार्रवाई नहीं | कहीं जाने की ज़रूरत नहीं | तुरंत एफडी एड्राइस पाएं

एफडी बुक करने के लिए अभी स्कैन करें!

RBL BANK
apno ka bank

कृपया साफ अक्षरों में भरें *अनिवार्य केवल आरबीएल बैंक के उपयोग हेतु–सर्विस रिक्वेस्ट नं. | | | | | | | | |

लागू खानों पर का ✓ निशान लगाएं. कृपया पूरा फॉर्म साफ अक्षरों में भरें दिनांक: D D M M Y Y Y Y

बारकोड

1. *कर्जदार का विवरण

मेरा एक ☐ रेसिडेंट अकाउंट ☐ नॉन–रेसिडेंट अकाउंट

कर्जदार का नाम: F I R S T | M I D D L E | L A S T

संयुक्त कर्जदार 1/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 1 का नाम:

संयुक्त कर्जदार 2/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 2 का नाम:

कृपया अपना वर्तमान बचत/चालू/एनआरओ अकाउंट नंबर दर्ज करें
(अकाउंट पहले कर्जदार के उसी सीआईएफ में होना चाहिए)

2. *कर्जदार/ग्राहक आईडी नं.

(कर्जदार /ग्राहक आईडी वेलकम किट में छपी होती है और आपकी चेक बुक/पासबुक के पहले पेज पर दिखाई देती है. डिपॉजिट कर्जदार /ग्राहक आईडी के तहत पंजीकृत नाम के अनुसार बनाई जाएगी.)

आवेदक (सीआईएफ 1): #पैन 1

संयुक्त कर्जदार 1/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 1 (सीआईएफ 2): #पैन 2

संयुक्त कर्जदार 2/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 2 (सीआईएफ 3): #पैन 3

#पैन नंबर अनिवार्य है. जिन लोगों का आरबीएल बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, उन्हें सभी केवाईसी/ एफएटीसीए आवश्यकताओं को पूरा करना होगा (यदि कर्जदार/ ग्राहक आईडी में अपडेट नहीं किया गया है तो जन्मतिथि का प्रमाण ज़रूरी है

3. *प्रचालन का मोड और सर्विस रिक्वेस्ट

☐ एकल ☐ संयुक्तरूप से ☐ कोई एक या सर्वाइवर ☐ पूर्व या सर्वाइवर ☐ कोई भी या सर्वाइवर ☐ अन्य ________

एनआरआई ग्राहकों के लिए केवल अकेले और पूर्व या सर्वाइवर विकल्प लागू हैं

बैंकिंग चैनल: चेक बुक ☐ हाँ ☐ नहीं

नेट बैंकिंग ☐ पहला कर्जदार ☐ दूसरा कर्जदार ☐ तीसरा कर्जदार

4. *ओवरड्राफ्ट सुविधा का विवरण

मुझे/हमें ओवरड्राफ्ट चाहिए ☐ बिज़नेस की ज़रूरत के लिए ☐ कृषि आवश्यकताओं के लिए (एनआरआई के लिए लागू नहीं) ☐ व्यक्तिगत खर्च

मैं/हम यहाँ फिक्स्ड डिपॉज़िट के प्रति ओवरड्राफ्ट सुविधा लेने के लिए नीचे दी गई डिपॉज़िट को गिरवी रखने की पुष्टि करता हूँ/करते हैं.

फिक्स्ड डिपॉज़िट का विवरण

अनु.क्र.	फिक्स्ड डिपॉज़िट (एफडी) नं.	स्कीम कोड	मूल्य दिनांक	परिपक्वता दिनांक	मूलधन राशि	ब्याज दर
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
कुल						

मांगा गया एडवांस का विवरण

लोन टू वैल्यू (एलटीवी) ________ स्वीकृति की सीमा ________ मौजूदा दर रु. में ________
(एलटीवी* कुल एफडी बैलेंस लियन चिन्हित) (केवल विदेशी मुद्रा डिपॉज़िट के मामले में लागू)

वार्षिक प्रतिशत दर (आरओआई)* :	बेंचमार्क दर (%) #	+	मार्क–अप/स्प्रेड (%)	=	कुल एपीआर/ आरओआई (%)
	एफडी कॉन्ट्रैक्ट दर (%)		(एफसीएनआर डिपॉजिट स्प्रेड के मामले + स्वैप लागत)		

आरबीएल बैंक ने मेरे/हमारे निवेदन पर, उल्लिखित फिक्स्ड डिपॉज़िट की सिक्योरिटी के प्रति, ओवरड्राफ्ट के ज़रिए रु.________ (रु.________ (शब्दों में)
________ (शब्दों में) धन ब्याज
(@एफडी कॉन्ट्रैक्ट दर का वेटेड औसत + खुद के मामले में ओडी स्प्रेड) की आर्थिक सहायता ________ स्वीकृत करने पर सहमति व्यक्त की है.

कोलैटरल का विवरण: मैं ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपरोक्त डिपॉजिट को सिक्योरिटी

अनेक फिक्स्ड डिपॉज़िट के प्रति ओवरड्राफ्ट के मामले में, बेंचमार्क दर (%) ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए चुनी गई जमा राशि की भारित औसत दर होगी.

एफसीएनआर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के मामले में, बेंचमार्क दर यील्ड दर होगी.

* वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) की गणना दो घटकों के आधार पर की जाती है: बेंचमार्क दर और प्रदान किया गया स्प्रेड. फिक्स्ड डिपॉज़िट के प्रति ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत कोई प्रक्रिया शुल्क, बीमा शुल्क, पूर्व समापन शुल्क इत्यादि नहीं हैं.

☐ एसएमएस अलर्ट ☐ ईमेल अलर्ट

आपको निम्नलिखित के लिए ई–मेल/एसएमएस अलर्ट के लिए पंजीकृत किया जाएगा: चालू खाते के लिए रु.5000 से अधिक के क्रेडिट/डेबिट लेनदेन. लागू शुल्कों के लिए, अपनी निकटतम शाखा या www.rbl.bank.in पर जाएं.

5. बोर्ड प्रस्ताव (केवल कंपनियों के लिए)

मे. ______ के निदेशक मंडल के प्रस्ताव का अंश जो D D M M Y Y Y Y को पारित किया गया था, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार यह संकल्प लिया गया कि श्री/श्रीमती ______ जिनके हस्ताक्षर नीचे सत्यापित हैं, उन्हें कंपनी की ओर से निम्नलिखित कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है.

1. आरबीएल बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट खाते द्वारा क्रेडिट सुविधा के लिए आवेदन करना, प्राप्त करना और संचालित करना.
2. कंपनी के नाम पर संयुक्त रूप से या अकेले जमा की गई फिक्स्ड डिपॉजिट को उपरोक्त ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखना, चार्ज करना या अन्यथा भारित करना.
3. उपरोक्त ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए आरबीएल बैंक द्वारा पेश किए जा सकने वाले नियमों और शर्तों को स्वीकार करना/सहमत होना.
4. इस ओवरड्राफ्ट सुविधा को प्रदान करने के लिए आरबीएल बैंक द्वारा आवश्यक सभी आवश्यक दस्तावेजों और कागजात पर हस्ताक्षर करना और निष्पादित करना.
5. इस प्रस्ताव की एक प्रमाणित प्रति आरबीएल बैंक को भेजना.

निदेशक/कंपनी सेक्रेटरी

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांक D D M M Y Y Y Y

महत्वपूर्ण

निदेशक या कंपनी सेक्रेटरी स्वयं को ओवरड्राफ्ट दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के रूप में अधिकृत नहीं कर सकते हैं. कृपया मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन और सर्टिफिकेट की एक प्रति संलग्न करें.

6. पार्टनरशिप का पत्र (केवल पार्टनरशिप फर्म के लिए)

नाम ______

पता ______

नीचे हस्ताक्षर करने वाले, ऊपर दी गई पार्टनरशिप फर्म के नाम और पते पर साझेदारी कर रहे हैं, और एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि साझेदारी एक पार्टनरशिप डीड द्वारा बनाई गई है, जिसे D D M M Y Y Y Y को विधिवत निष्पादित किया गया है, ऊपर दी गई पार्टनरशिप डीड में किसी भी विपरीत बात के बावजूद, हम यानी फर्म के सभी पार्टनर, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती ______, ऊपर दी गई पार्टनरशिप फर्म के साझेदार को, उक्त पार्टनरशिप फर्म की ओर से, नीचे बताए गए निम्नलिखित कार्य और चीजें करने के लिए अधिकृत करते हैं:

1. आरबीएल बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट अकाउंट के रूप में क्रेडिट सुविधा के लिए आवेदन करना, प्राप्त करना और संचालित करना.
2. ऊपर दी गई ओवरड्राफ्ट सुविधा की सिक्योरिटी के रूप में पार्टनरशिप फर्म के नाम पर संयुक्त रूप से या अकेले रखे गए फिक्स्ड डिपॉजिट को गिरवी रखना, चार्ज करना या अन्यथा बाधित करना.
3. आरबीएल बैंक द्वारा ऊपर दी गई ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए पेश किए गए नियमों और शर्तों को स्वीकार करना/सहमत होना.
4. इस ओवरड्राफ्ट सुविधा को प्रदान करने के लिए आरबीएल बैंक द्वारा मांगे जानेवाले सभी आवश्यक दस्तावेजों और कागजात पर हस्ताक्षर करना और निष्पादित करना.

पहला पार्टनर	दूसरा पार्टनर	तीसरा पार्टनर
नाम	नाम	नाम
चौथा पार्टनर	पांचवां पार्टनर	दिनांक D D M M Y Y Y Y
नाम	नाम	

महत्वपूर्ण

निदेशक या कंपनी सेक्रेटरी ओवरड्राफ्ट दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु स्वयं को अधिकृत व्यक्ति के रूप में अधिकृत नहीं कर सकते हैं. कृपया मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन और सर्टिफिकेट की एक प्रति संलग्न करें.

7. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (''फेमा'') घोषणा

मैं/हम सुविधाओं का उपयोग केवल फेमा दिशानिर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों के लिए करेंगे और न ही दोबारा कर्ज देने या कृषि/बागान गतिविधियों को करने या रियल एस्टेट व्यवसाय में निवेश, निधि कंपनी में निवेश, फार्म हाउस के निर्माण, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) में ट्रेडिंग या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत निषिद्ध किसी भी निवेश के लिए करेंगे.

मैं/हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्जदारों द्वारा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट रखने पर सहमत होने के लिए कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है और घोषणा करते हैं और पुष्टि करते हैं कि सुविधाओं का उपयोग न तो आर्बिट्रेज या सट्टेबाजी या पूंजी बाजारों में निवेश के लिए किया जाएगा.

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि ओवरड्राफ्ट की राशि का इस्तेमाल अपने व्यवसाय/अपनी ज़रूरतों के लिए किया जाएगा, जैसा कि आवेदन पत्र में बताया गया है.

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि ओवरड्राफ्ट की रकम का इस्तेमाल किसी ऐसी दूसरी गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा जहाँ विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है.

मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि ओवरड्राफ्ट की राशि का उपयोग पूँजी बाज़ार में निवेश के लिए नहीं किया जाएगा, जिसमें मार्जिन ट्रेडिंग और डेरिवेटिव शामिल हैं.

मैं/हम आगे पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि ओवरड्राफ्ट की राशि नॉन-रेजिडेंट (एनआरई)/ फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट (एफसीएनआर) अकाउंट में जमा नहीं की जाएगी और मैं/हम फंड को भारत से बाहर नहीं भेजेंगे.

मैं/हम ओवरड्राफ्ट की चुकौती केवल भारत के बाहर से सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से इनवर्ड रेमिटेंस द्वारा या मेरे/हमारे नॉन-रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट (एनआरओ)/ नॉन-रेजिडेंट एक्सटर्नल (एनआरई)/ फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट डिपॉजिट अकाउंट (एफसीएनआर) से डेबिट करके करेंगे.

पहले कर्जदार के हस्ताक्षर/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 1	दूसरे कर्जदार के हस्ताक्षर/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 2	तीसरे कर्जदार के हस्ताक्षर/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 3
नाम:	नाम:	नाम:

8. *एफएटीसीए/सीआरएस घोषणा

*भारत के बाहर अधिकार क्षेत्र में कर प्रयोजन के लिए निवास ☐ हाँ (यदि हाँ, तो निम्नलिखित विवरण दें) ☐ नहीं (यदि नहीं, तो शेष क्षेत्र अनिवार्य नहीं हैं)

टैक्स आयडेंटिफिकेशन नंबर या समकक्ष		टीआईएन विवरण	
कर अधिकार क्षेत्र का देश		टीआईएन जारीकर्ता देश	
जन्म का शहर		जन्म का देश	

A-OD-FD-First Party/30102025/Vers_Oct

9. *कर्जदार की घोषणा

लीगल एंटिटी आयडेंटिफायर (एलईआई) घोषणा

कर्जदार का नाम: | | | | | | | | | | | | | | | |

☐ मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि प्रस्तावित ओवरड्राफ्ट/क्रेडिट सुविधा लेने के बाद हमारी फर्म/कंपनी का कुल बैंकिंग एक्सपोजर रु.5 करोड़ और उससे अधिक है.

लीगल एंटिटी आयडेंटिफायर (एलईआई) हमारी फर्म/कंपनी पर लागू होता है और इसके विवरण इस प्रकार हैं:

1) एलईआई नंबर:
2) एलईआई जारीकर्ता:
3) एलईआई जारी करने का दिनांक:
4) एलईआई समापन दिनांक:

☐ मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि प्रस्तावित ओवरड्राफ्ट/क्रेडिट सुविधा लेने के बाद हमारी फर्म/कंपनी का कुल बैंकिंग एक्सपोजर रु.5 करोड़ से कम है. लीगल एंटिटी आयडेंटिफायर (एलईआई) हम पर लागू नहीं होता है. मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि यदि हमारी फर्म/कंपनी का कुल बैंकिंग एक्सपोजर ओवरड्राफ्ट/क्रेडिट सुविधा की अवधि के दौरान रु.5 करोड़ से अधिक हो जाता है तो मैं/हम जल्द से जल्द एलईआई प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और एलईआई मिलने के बाद आरबीएल बैंक को उसकी जानकारी देने के लिए सहमत हैं.

मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी और विवरण सभी मामलों में सत्य, सही और अद्यतन हैं.

I. कर्जदार एतद्द्वारा घोषणा करता है, आश्वासन देता है और वचन देता है कि:

i. कर्जदार फिक्स्ड डिपॉजिट का कानूनी और लाभकारी मालिक है और फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ व्यवहार करने का पूरा हकदार है.

ii. फिक्स्ड डिपॉजिट कर्जदार के व्यवसाय से जमा हुए फ्री कैश फ्लो को दिखाता है और इसे दूसरे कर्जदाताओं से कर्ज में लिए गए पैसे या किसी अन्य व्यक्ति से कर्ज लेकर नहीं बनाया गया है;

iii. फिक्स्ड डिपॉजिट वैध स्रोत से प्राप्त धन से बनाया गया है और इसे किसी ऐसे स्रोत से प्राप्त/निर्मित धन से या किसी ऐसी गतिविधि से नहीं बनाया गया है जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 **(पीएमएलए अधिनियम)** के तहत प्रतिबंधित है;

iv. कर्जदार ने उक्त फिक्स्ड डिपॉजिट पर किसी भी प्रकार का कोई भार (गिरवी, ग्रहणाधिकार, हस्तांतरण, असाइनमेंट और कुर्की न्यायालय आदेश सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) नहीं बनाया है;

v. कर्जदार यह सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों व शर्तों के तहत अनुमति के अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट पर कोई भार या सिक्योरिटी हित नहीं बनाया जाएगा;

vi. आयकर अधिनियम, 1961 (जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281 के तहत निहितार्थ शामिल है (कर अधिनियम)) या लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानूनों या किसी अन्य लागू कर कानूनों के तहत कर्जदार द्वारा कोई राशि बकाया और देय नहीं है;

vii. कर्जदार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है या कोई वॉरंट/आदेश जारी नहीं किया गया है और कर्जदार के खिलाफ कर अधिनियम के तहत (जिसमें कर अधिनियम की धारा 281 के तहत निहितार्थ शामिल है) या लागू जीएसटी कानूनों या किसी अन्य लागू कर कानूनों के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है.

viii. कर्जदार यह समझता है और सहमत है कि इस सुविधा का उपयोग इन प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा:
- पुन: कर्ज देना, छोटी बचत योजनाओं (केवीपी और एनएससी सहित) लेना, किसी भी रूप में सोना खरीदना, जिसमें प्राथमिक सोना, गोल्ड बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की यूनिट्स और गोल्ड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स शामिल हैं, आर्बिट्रेज या सट्टेबाजी या पूंजी बाजारों में निवेश, और किसी कंपनी में प्रमोटर की इक्विटी हिस्सेदारी बढ़ाना
- आरबीएल बैंक के शेयर खरीदना या इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स (आईडीआर) में निवेश करना.
- ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस (ओडीएस) का उपयोग/उत्पादन करने वाली यूनिट्स में निवेश करना या क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) का उपयोग करके एयरोसोल यूनिट्स का निर्माण करना
- पूंजी बाजार के इंस्ट्रूमेंट्स या किसी सट्टेबाजी या अवैध या असामाजिक उद्देश्यों के लिए निवेश करना.
- कर्जदार कंपनी अपने शेयरों/सिक्योरिटीज़ की बायबैक के लिए फंड का उपयोग नहीं करेगी.
- कर्जदार को ओवरड्राफ्ट फंड का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करना होगा जिसके लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा दी गई है और वह आरबीएल बैंक की सहमति के बिना ऐसे फंड से अपने ग्रुप की संस्थाओं को कोई महत्वपूर्ण ट्रांसफर नहीं कर सकता है. आरबीएल बैंक के पास कर्ज लेने वाले से अतिरिक्त दस्तावेज मांगने का अधिकार सुरक्षित है, यह साबित करने के लिए कि फंड का उपयोग ऊपर बताए गए उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा है.

ix. कर्जदार एतद्द्वारा घोषणा करता है कि, सभी सहमति/घोषणाएं लागू होंगी, जो परिदृश्य की अनुमति के अधीन है–
- संयुक्त रूप से और अलग-अलग प्रत्येक संस्था पर जब जमाकर्ता एक से अधिक संस्था हो.
- प्रत्येक फिक्स्ड डिपॉजिट पर जब फिक्स्ड डिपॉजिट में एक से अधिक फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हों; और
- प्रत्येक क्रेडिट सुविधा या एक्सपोजर पर और सभी क्रेडिट सुविधाओं और एक्सपोजर पर जब सुविधा में एक से अधिक क्रेडिट सुविधा या एक्सपोजर शामिल हों

x. मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मेरी/हमारी केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यदि मेरे/हमारे द्वारा व्यावसायिक रिश्ते/खाता-आधारित रिश्ते स्थापित करते समय और उसके बाद, आवश्यकतानुसार जमा किए गए दस्तावेजों में कोई अपडेट होता है, तो मैं/हम आरबीएल बैंक को अपडेट के 30 दिनों के भीतर सूचित करेंगे ताकि आरबीएल बैंक के पास वे रिकॉर्ड अपडेट किए जा सकें.

कर्जदार बिना शर्त इन बातों के लिए सहमत है

क. आरबीएल बैंक को यह सहमति दें कि वह, कर्जदार को बिना किसी सूचना के, आरबीएल बैंक से ली गई सेवाओं और उत्पादों के संबंध में आवेदन फ़ॉर्म/संबंधित दस्तावेज़ों में कर्जदार द्वारा दी गई जानकारी को आरबीएल बैंक की शाखाओं/सहायक कंपनियों/सहयोगियों, सेवा प्रदाता, अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों, सरकारी या विनियामक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों को केवाईसी जानकारी के सत्यापन के लिए, या अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए, जिन्हें आरबीएल बैंक उचित समझे, प्रकट कर सकता है. कर्जदार इसके द्वारा अनुबंध की गोपनीयता के विशेषाधिकार को स्पष्ट रूप से त्यागता है.

ख. कर्जदार से संबंधित जानकारी, कर्जदार द्वारा यहाँ मानी गई बाध्यताओं (इस दस्तावेज़ में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन न करने सहित) को किसी भी तीसरे पक्ष को प्रकट करने की सहमति दें, जिसमें इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आईबीसी) के तहत नियुक्त महत्वपूर्ण सूचनाएँ, क्रेडिट रेफरेंस एजेंसियाँ, आरबीआई, आयकर प्राधिकरण, क्रेडिट ब्यूरो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ, डेटा बैंक, अन्य कर्जदाता, वित्तीय संस्थान या कोई अन्य सरकारी या विनियामक प्राधिकरण, वैधानिक प्राधिकरण, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण शामिल हैं, लेकिन जो यहीं तक सीमित नहीं हैं, और हम इसके द्वारा विशेष रूप से सहमत हैं कि आरबीएल बैंक या संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर आरबीएल बैंक द्वारा प्रस्तुत ऐसी जानकारी को तुरंत प्रमाणित करेंगे;

ग. मेरे/हमारे आवासीय या व्यावसायिक पते में किसी भी बदलाव या ऐसे किसी भी बदलाव के बारे में आरबीएल बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे जो मेरी साख को प्रभावित कर सकता है. मैं/हम बैंक को समय-समय पर आपके निवास/संपर्क जानकारी/रोजगार में बदलाव के बारे में तुरंत सूचित करेंगे और ऐसे बदलाव की तारीख से 30 दिनों के भीतर अद्यतन दस्तावेज़ प्रदान करेंगे;

घ. आरबीएल बैंक को आवेदन फ़ॉर्म में मेरे द्वारा प्रदान किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर और/या ईमेल एड्रेस पर एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सीकेवाईसी रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त करना.

ङ. सुविधा की सीमा तय करने से पहले अपनी लिंक्ड जमा राशि को स्वीप-इन सुविधा से अनलिंक करने के लिए अधिकृत करना.

च. **समय से पहले निकासी:** कर्जदार एतद्द्वारा सहमति देता है:
   i. कि फिक्स्ड डिपॉजिट की समय से पहले निकासी जिसके प्रति ओवरड्राफ्ट सुविधा ली गई है, ओवरड्राफ्ट सुविधा के अंतिम निपटारे तक अनुमत नहीं है;
   ii. ओवरड्राफ्ट खाते में किसी भी बकाया राशि को चुकता करने और ओवरड्राफ्ट खाता बंद करने के लिए कर्जदार के वर्तमान बचत खाते को डेबिट करने के लिए आरबीएल बैंक को सहमति प्रदान करना;

च. आरबीएल बैंक को अधिकृत करना कि वह आरबीएल बैंक के प्रति कर्जदार के किसी भी बकाया को सेट-ऑफ कर सके, अपने लियन का उपयोग कर सके और/या अपनी आंतरिक नीतियों के अनुसार मार्जिनल जोखिम के निपटारे के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट को बंद कर सके. कर्जदार एतद्द्वारा सहमति देता/देती है और पुष्टि करता/करती है कि ओवरड्राफ्ट सुविधा पर लागू ब्याज दर सीधे फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दर से जुड़ी हुई है, और बेंचमार्क दर में किसी भी बदलाव का फिक्स्ड डिपॉजिट के बदले लिए गए ओवरड्राफ्ट की दर पर भी उसी के अनुसार प्रभाव पड़ेगा.

छ. कर्जदार एतद्द्वारा यह भी सहमति देता है कि आरबीएल बैंक द्वारा कर्जदार को दी गई सुविधा की एक पूर्व शर्त के रूप में, यदि कर्जदार नियत दिनांकों पर सुविधा के पुनर्भुगतान में भूल करता है, तो आरबीएल और/या आरबीआई को कर्जदार का नाम या उसके निदेशकों/साझेदारों का नाम या गारंटर का नाम डिफ़ॉल्टर (जानबूझकर डिफ़ॉल्टर सहित) के रूप में इस तरह से और ऐसे माध्यम से प्रकट करने या प्रकाशित करने का असीमित अधिकार होगा, जैसा कि आरबीएल बैंक या आरबीआई अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे.

ज. कर्जदार एतद्द्वारा सहमति देता है कि जहाँ मासिक/तिमाही ब्याज भुगतान का विकल्प चुना गया है, उसे ओवरड्राफ्ट खाते में ब्याज जमा करने हेतु उस को सक्षम करने के लिए स्वचालित रूप से संशोधित किया जाएगा और, यदि आवश्यक हो, तो समय-समय पर आवश्यक दस्तावेज़ों को निष्पादित करने में सहयोग करेगा (ओडीएफडी का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए लागू नहीं है).

झ. कर्ज़दार उत्पाद सारांश में बताए अनुसार फिक्स्ड डिपॉज़िट के प्रति ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए चुने गए उद्देश्य से सहमत है.

ञ. कर्ज़दार एतद्द्वारा आगे घोषणा करता है कि कर्ज़दार आरबीआई द्वारा चालू खाते खोलने और आरबीआई सर्कुलर में ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट खाते बनाए रखने के लिए निर्धारित आवश्यकताओं से पूरी तरह अवगत है, जिसका शीर्षक है बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना – अनुशासन की आवश्यकता, दिनांक 19 अप्रैल, 2022 के समेकित सर्कुलर DOR.CRE.REC.23/21.08.008/2022-23 के माध्यम से बैंकों द्वारा चालू खाते और सीसी/ओडी खाते खोलना और आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करेगा.

ट. कर्ज़दार एतद्द्वारा घोषणा करता है कि कर्ज़दार द्वारा आरबीएल बैंक को दी गई जानकारी या डेटा सत्य और सही हैं. कर्ज़दार एतद्द्वारा अनुरोध करने से पहले दिखाए गए की फैक्ट स्टेटमेंट के साथ-साथ संबंधित नियमों और शर्तों को समझता है और स्वीकार करता है.

ठ. मैं/हम एतद्द्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि नॉन-कॉलेबल/एसीई डिपॉज़िट के प्रति ओवरड्राफ्ट सुविधा (ओडीएफडी) की अनुमति नहीं है, जहाँ समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं है. फिर भी, 28 अक्टूबर, 2025 से पहले बुक किए गए नॉन-कॉलेबल/एसीई डिपॉज़िट के संबंध में, मैं/हम उक्त डिपॉज़िट की परिपक्वता तक उसे गिरवी रखकर ओडीएफडी सुविधा का लाभ उठाने का अनुरोध करते हैं. मैं/हम यह भी समहति देते हैं कि, उक्त नॉन-कॉलेबल/एसीई डिपॉज़िट की परिपक्वता पर ओडीएफडी सुविधा का लाभ जारी रखने के लिए, डिपॉज़िट को समान अवधि के कॉलेबल डिपॉज़िट (यानी, समय से पहले निकासी की अनुमति) में, ऐसे रूपांतरण के समय लागू प्रचलित ब्याज दर पर परिवर्तित किया जाएगा.

A-OD-FD-First Party/30102025/Vers_Oct

9. कर्ज़दार घोषणा (जारी...)

II. आरबीएल बैंक/किसी अन्य बैंक के निदेशकों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रिश्ते के संबंध में कर्ज़दार की घोषणा

I. मैं आरबीएल बैंक का निदेशक हूँ ☐ हाँ ☐ नहीं

II. मैं किसी अन्य बैंक का निदेशक हूँ* ☐ हाँ ☐ नहीं बैंक का नाम ____

III. मैं आरबीएल बैंक का एक वरिष्ठ अधिकारी हूँ ☐ हाँ ☐ नहीं

IV. मैं/हम आरबीएल बैंक / अन्य बैंक के डायरेक्टर / आरबीएल बैंक के सीनियर ऑफिसर के रिश्तेदार हूँ/हैं ☐ हाँ ☐ नहीं

V. हम एक निकाय** हैं जिसमें आरबीएल बैंक के डायरेक्टर** /डायरेक्टर के रिश्तेदार**/वरिष्ठ अधिकारी के रिश्तेदार डायरेक्टर/पार्टनर/गारंटर/इंटरेस्टेड पार्टी** /कर्मचारी हैं या एक सब्सिडियरी/होल्डिंग कंपनी (कर्जदार कंपनी की) जिसमें आरबीएल बैंक का डायरेक्टर एक डायरेक्टर/मैनेजिंग एजेंट/मैनेजर/कर्मचारी/गारंटर है/बड़ा हितलाभ रखता है ☐ हाँ ☐ नहीं

VI. मैं एक फर्म में आरबीएल बैंक के डायरेक्टर के साथ पार्टनर हूँ या आरबीएल बैंक का डायरेक्टर मेरी किसी भी क्रेडिट सुविधा के लिए गारंटर है ☐ हाँ ☐ नहीं

* इसमें शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंकों के डायरेक्टर, सब्सिडियरी के डायरेक्टर/म्यूचुअल फंड/वेंचर कैपिटल फंड के ट्रस्टी शामिल हैं.

**निकाय में फर्म/कंपनी शामिल है, डायरेक्टर शब्द में आरबीएल बैंक /किसी अन्य बैंक* का डायरेक्टर शामिल है, इच्छुक पक्ष में वह व्यक्ति शामिल है जिसके पास काफी हितलाभ है /जो प्रमुख शेयरधारक है / जो मैनेजर है / जो मैनेजिंग एजेंट है / जो नियंत्रण रखता है.

यदि हाँ, तो नीचे विवरण दें: मैं घोषणा करता हूँ (कि मेरा आरबीएल बैंक या यहाँ बताए गए किसी अन्य बैंक के डायरेक्टर और/या वरिष्ठ अधिकारी से संबंध है)

अनु. क्र.	डायरेक्टर/ वरिष्ठ अधिकारी का नाम	पदनाम	रिश्ता

यदि ऊपर दी गई पुष्टियाँ/घोषणाएँ सच नहीं हैं, तो कर्जदार आरबीएल को ऐसे रिश्ते के विवरणों के साथ एक लिखित घोषणा देगा. यदि सुविधा लेने की अवधि के दौरान ऐसी घोषणा के विवरण बदलते हैं, तो कर्जदार आरबीएल को ऐसे किसी भी बदलाव की लिखित घोषणा तुरंत देगा ताकि आरबीएल उस पर विचार कर सके.

कर्जदार एतद्द्वारा आरबीएल बैंक को यह भी सूचित करने का वचन देता है कि जब भी बैंकिंग सिस्टम से एक्सपोज़र रु. 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाएगा, और आरबीएल बैंक को बैंकिंग सिस्टम के साथ मेरे द्वारा ली गई सुविधाओं के संबंध में कम से कम हर छह महीने में बैंकिंग एक्सपोज़र की समीक्षा करने की अनुमति देगा.

मैं/हम ____ , जो ____ (पिन कोड के साथ पूरा पता)
____ (पिन कोड के साथ पूरा पता) पर रहते हैं/पंजीकृत हैं, इसके द्वारा निम्नलिखित की पुष्टि और घोषणा करते हैं

***भाग A :**

- **लिंग:** ☐ पुरुष ☐ महिला ☐ तृतीय पंथी
- **श्रेणी:** ☐ अजा ☐ अजजा ☐ अपिव ☐ सामा ☐ घुमंतू
- **समुदाय:** ☐ हिंदू ☐ मुस्लिम ☐ जैन ☐ बौद्ध \ नव-बौद्ध ☐ ईसाई ☐ यहूदी ☐ सिख ☐ पारसी ☐ अन्य ____
- **विकलांग व्यक्ति:** ☐ हाँ ☐ नहीं

***भाग B:** (केवल तभी अनिवार्य है जब एफडी के प्रति ओडक्ष का उद्देश्य कृषि संबंधी ज़रूरतें या व्यावसायिक ज़रूरतें हों)

- **यदि एफडी के प्रति ओडी का उद्देश्य कृषि है**

  गतिविधि का विवरण: ☐ डेयरी ☐ पोल्ट्री ☐ एक्वाकल्चर ☐ मधुमक्खी पालन ☐ रेशम उत्पादन ☐ अन्य ____

  भूमि स्वामित्व विवरण: (रु. 2 लाख से अधिक के मामलों के लिए भूमि रिकॉर्ड की प्रतियों द्वारा अनिवार्य रूप से समर्थित)

  सर्वे नंबर/गट नं. ____ , क्षेत्र ____ गांव ____ , जिला ____

- **यदि एफडी के प्रति ओडी का उद्देश्य व्यावसायिक आवश्यकता है**

  व्यवसाय का विवरण ____

1. उद्यम पंजीकरण संख्या (यूआरसी*)

विवरण	मूल्य
उद्यम पंजीकरण संख्या - (यूआरसी अनिवार्य है)	
गतिविधि का वर्गीकरण	☐ मैन्युफैक्चरिंग ☐ सेवाएं ☐ व्यापार
उद्यम प्रकार	☐ सूक्ष्म ☐ लघु ☐ मध्यम ☐ बड़ा
पिछला असेस्ड फायनांशियल इयर	
कुल कारोबार करोड़ में	
निर्यात करोड़ में	
नेट टर्नओवर (टीटी-एक्स) करोड़ में	
डब्ल्यूडीवी करोड़ में	

इसके अलावा मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि,

1. कि मैं/हम किसान/व्यवसाय के मालिक (निर्माता/सेवा प्रदाता/व्यापारी) हैं और मेरी आय का प्राथमिक स्रोत कृषि/व्यवसाय है.
2. मैं/हम समझते हैं और यह वचन देते हैं कि मैं आरबीएल बैंक से फिक्स्ड डिपॉजिट के प्रति ओवरड्राफ्ट के लिए ओवरड्राफ्ट सहायता ले रहा हूं और मैं इन फंडों का उपयोग खेती/व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों के लिए करूंगा.
3. कि मैं/हम आरबीएल बैंक से इस ओवरड्राफ्ट की विद्यमानता के दौरान इस वचन का सख्ती से पालन करेंगे.
4. कि यह वचन पत्र आरबीएल बैंक के साथ निष्पादित ओवरड्राफ्ट पत्र का अभिन्न अंग है.
5. कि मैं/हम एतद्द्वारा आरबीएल बैंक, उसके अधिकारियों/कर्मचारियों को सभी दावों, नुकसानों, क्षतियों, देनदारियों आदि से हर समय क्षतिपूर्ति करने, बचाव करने और हानिरहित रखने के लिए सहमत हैं और वचन देते हैं, जो आरबीएल बैंक लि. मेरे द्वारा किए गए किसी भी गलत बयान या झूठे/गलत कथन के कारण उठा सकता है या झेल सकता है.

मैं/हम पूरी ईमानदारी से घोषित करता हूँ/करते हैं कि ऊपर बताई गई बातें मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं. इस वचन का कोई भी हिस्सा गलत नहीं है और इसमें कोई भी महत्वपूर्ण विवरण छिपाया नहीं गया है. इस वचन का कोई भी हिस्सा गलत नहीं है और इसमें से कुछ भी महत्वपूर्ण छिपाया नहीं गया है.

मैं/हम किसी भी वैधानिक या कानूनी कमजोरी से पीड़ित नहीं हैं और/या बाध्यकारी समझौते में प्रवेश करने में असमर्थ नहीं हैं. यदि कर्जदार एक प्राकृतिक व्यक्ति है, कर्जदार वयस्क है और स्वस्थ दिमाग का है और अनुबंध करने में सक्षम है.

जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, मैं/हम न तो राजनीतिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति हैं और न ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील व्यक्तियों से संबंधित हैं (जैसा कि आरबीआई द्वारा समय-समय पर परिभाषित और संशोधित किया गया है).

मैं आगे आरबीएल बैंक को मेरे आधार नंबर और/या बायोमेट्रिक/जनसांख्यिकीय जानकारी का उपयोग यूआईडीएआई से मेरे विवरण को सत्यापित करने के लिए अधिकृत करता हूं. मैं समझता हूं कि आरबीएल बैंक यूआईडीएआई से डेटा की मांग और वही डेटा आरबीएल बैंक के पास संग्रहित किया जाएगा ताकि मुझे मेरे चुने हुए उत्पाद/सेवाएँ मिल सकें.

मैं एतद्द्वारा स्वेच्छा से अपने विवेकाधीन केवाईसी प्रयोजनों के लिए, यूआईडीएआई (आधार) द्वारा परिभाषित बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण या ऑफ़लाइन सत्यापन मोड आरबीएल बैंक को पहचान/पते के प्रमाण स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत करता हूं.

कर्ज़दार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 1 के हस्ताक्षर	संयुक्त कर्ज़दार 1/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 2 के हस्ताक्षर	संयुक्त कर्ज़दार 2/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 3 के हस्ताक्षर
कर्ज़दार का नाम/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 1 का नाम	संयुक्त कर्ज़दार 1 का नाम/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 2 का नाम	संयुक्त कर्ज़दार 2 का नाम/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 3 का नाम

दिनांक: D D M M Y Y Y Y

(अगर यह फ़ॉर्म खाली है तो कृपया इस पर हस्ताक्षर नहीं करें. कृपया सुनिश्चित करें कि सभी संबंधित विभाग और कॉलम आपकी संतुष्टि के अनुसार पूरी तरह से भरे हुए हैं और उसके बाद ही फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करें)

A-OD-FD-First Party/30102025/Vers_Oct

10. उत्पाद के नियम और शर्तें:

1. आरबीएल बैंक द्वारा दी जाने वाली यह सुविधा लागू कानूनों के अधीन है और इसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना के, कर्जदार द्वारा नियमों और शर्तों का उल्लंघन या डिफ़ॉल्ट शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है.
2. ओवरड्राफ्ट सुविधा के चालू रहने के दौरान यदि कर्जदार अपनी स्थिति निवासी से अनिवासी या इसके विपरीत बदलता है, तो आरबीएल बैंक अपने विवेक से सुविधा जारी रखने की अनुमति दे सकता है या फिक्स्ड डिपॉज़िट और उस पर अर्जित किसी भी ब्याज को सुविधा के विरुद्ध समायोजित करने के बाद सुविधा को निलंबित/रद्द कर सकता है.
3. कर्जदार एतद्द्वारा सहमत है कि सुविधा का उपयोग केवल कर्जदार द्वारा चुने गए उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं जो लागू कानूनों के तहत अनुमत नहीं है. आरबीएल बैंक इस सुविधा के तहत ली गई किसी भी राशि के अंतिम उपयोग की निगरानी या सत्यापन करने के लिए बाध्य नहीं है.
4. ओवरड्राफ्ट सुविधा के चालू रहने के दौरान यदि कर्जदार अपनी स्थिति अनिवासी में बदलता है, तो आरबीएल बैंक अपने विवेक से सुविधा जारी रखने की अनुमति दे सकता है या फिक्स्ड डिपॉज़िट और उस पर अर्जित किसी भी ब्याज को ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के विरुद्ध समायोजित करने के बाद ओवरड्राफ्ट सुविधाओं को निलंबित/रद्द कर सकता है.
5. आरबीएल बैंक द्वारा फिक्स्ड डिपॉज़िट की सिक्योरिटी के प्रति कर्जदार को दी गई सुविधा स्वचालित रूप से उस अवधि के लिए नवीनीकृत हो जाएगी जिस पर आरबीएल बैंक द्वारा ऐसी अवधि के लिए प्रचलित दरों पर इसे पहले बुक किया गया था, जब तक कि आरबीएल बैंक अपने विवेक से अन्यथा निर्णय न ले. कृपया ध्यान दें कि इस आवेदन के साथ फिक्स्ड डिपॉज़िट के प्रति जारी मूल फिक्स्ड डिपॉज़िट रसीदें शाखा में जमा करना अनिवार्य है और यह इस ओवरड्राफ्ट सुविधा के विस्तार के लिए एक पूर्व शर्त है.
6. सुविधा की समाप्ति:
   क. इस सुविधा की शर्तों का पालन करते समय कर्जदार की ओर से किसी भी विफलता या उल्लंघन या दोष की स्थिति में या दोष की घटनाओं (जैसा कि नीचे बताया गया है) के मामलों में, कर्जदार बिना किसी आपत्ति या विरोध के, वेबसाइट पर उल्लिखित शुल्कों की अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर डिफ़ॉल्ट शुल्क का भुगतान करेगा.
   ख. दोष की घटना होने पर और उसके बाद किसी भी समय, आरबीएल बैंक अपने विवेक से निम्नलिखित कर सकता है:
      i. सुविधा को रद्द करें और/या यह घोषणा करें कि इस्तेमाल की गई सुविधा का पूरा या कोई भी हिस्सा, साथ में जमा हुआ ब्याज, डिफ़ॉल्ट चार्ज, और अन्य सभी जमा हुई या बकाया राशि तुरंत नियत और देय होगी, जिसके बाद वे तुरंत नियत और देय हो जाएंगी; और/या
      ii. फिक्स्ड डिपॉज़िट को बंद करने के अपने अधिकारों को लागू करना;
      iii. कर्जदार पर अतिरिक्त शर्तें लगाना ताकि वह बैंक को स्वीकार्य अतिरिक्त सिक्योरिटी प्रदान करे या प्राप्त करे, जैसा कि बैंक उचित समझे, और ये शर्तें तुरंत कर्जदार पर बाध्यकारी होंगी.
      iv. लागू कानूनों के अनुसार अपने किसी भी या सभी अधिकारों, उपायों, शक्तियों या विवेक का प्रयोग करना.
   ग. क्रेडिट सुविधाओं (जिसमें सुविधा शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है) के तहत आरबीएल बैंक द्वारा बकाया राशि के निपटान के बाद बची हुई कोई भी राशि कर्जदार को फिक्स्ड डिपॉज़िट बुकिंग या बाद के नवीनीकरण के समय कर्जदार द्वारा दिए गए परिपक्वता के निर्देशों के अनुसार प्रदान की जाएगी.
      i. सहमति वापस लेना: यदि कर्जदार किसी भी समय अपनी व्यि गत जानकारी की प्रक्रिया करने या अपनी व्यक्तिगत जानकारी तीसरे पक्षों को प्रदान करने की अपनी सहमति वापस लेना चाहता है, तो यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि आरबीएल बैंक अपने कानूनी और विनियामक दायित्वों का पालन करने के लिए कुछ डेटा, जिसमें व्यक्तिगत डेटा शामिल है, को बनाए रख सकता है. यह भी सूचित किया जाता है कि सहमति वापस लेने से उपयोगकर्ता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें सेवाओं को बंद करना भी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है. आरबीएल बैंक सेवाओं पर इस तरह के प्रभाव के कारण उपयोगकर्ता को हुए किसी भी नुकसान/हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
7. **डिफॉल्ट की घटना:** कर्जदार एतद्द्वारा सहमत है कि निम्नलिखित में से किसी भी घटना या परिस्थिति के होने पर, जिसे आरबीएल बैंक के विवेक पर डिफॉल्ट की घटना माना जा सकता है:
   क. कर्जदार इस सुविधा का लाभ उठाने के अनुसार देय कोई भी राशि नियत तारीख पर भुगतान नहीं करता है.
   ख. कर्जदार इस सुविधा के तहत अपने किसी भी दायित्व या करार का पालन नहीं करता है.
8. **ग्रहणाधिकार/डेबिट करने का अधिकार:** इन नियमों व शर्तों द्वारा आरबीएल बैंक को दिए गए अधिकार, शक्तियाँ और उपाय किसी अन्य सुरक्षा, कानून या नियम के आधार पर आरबीएल बैंक को दिए गए सभी अधिकारों, शक्तियों और उपायों के अतिरिक्त होंगे. आरबीएल बैंक, लेकिन बाध्य नहीं है, बैंकर का ग्रहणाधिकार प्रयोग कर सकता है और/या सभी खातों में सभी धन को विनियोजित/समायोजित/सेट-ऑफ करने का अधिकार होगा, जिसमें चालू, बचत, सावधि जमा, प्रतिभूतियाँ शामिल हैं, जो अब या इसके बाद आरबीएल बैंक के कब्जे में या डिपॉजिट में हैं या आरबीएल बैंक के पास कानूनी या रचनात्मक रूप से रखे गए हैं, चाहे सामान्य या विशेष खाते या जमा में रखे गए हों, या सुरक्षित रखने के लिए या अन्यथा कर्जदार द्वारा आरबीएल बैंक को देय किसी भी दायित्व के प्रति रखे गए हों.
9. आवर्ती जमा, नॉन-कॉलेबल/एसीई डिपॉजिट, टैक्स सेवर डिपॉजिट, मौजूदा ग्रहणाधिकार चिह्नित जमा और माइनर डिपॉजिट के प्रति कोई ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी.
10. यदि ओवरड्राफ्ट सुविधा चालू खाते के माध्यम से दी जाती है, जो एक गैर-ब्याज वाला खाता है, तो क्रेडिट बैलेंस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा.
11. कर्जदारों द्वारा देय ब्याज समय-समय पर आरबीआई या किसी विनियामक, सरकारी या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन होगा. ब्याज और अन्य सभी शुल्क दैनिक आधार पर जमा होंगे और 365 दिन प्रति वर्ष के आधार पर और उसके बाद बीते हुए वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर गणना की जाएगी. यदि सुविधा के तहत देय किसी भी राशि की नियत तारीख उस दिन पड़ती है, जो उस स्थान पर व्यावसायिक दिन नहीं है जहाँ भुगतान किया जाना है, तो तत्काल पिछला व्यावसायिक दिन ऐसे भुगतान के लिए नियत तारीख होगी.
12. ओवरड्राफ्ट खाता चालू खाते के प्रकारों में से एक है जहाँ सुविधा स्वीकृत की जाएगी. कर्जदार आरबीएल बैंक द्वारा दी जाने वाली अलग-अलग सेवाओं के लिए आरबीएल बैंक के मानक शुल्क अनुसूची के अनुसार आरबीएल बैंक को प्रभार का भुगतान करेगा. नवीनतम शुल्क अनुसूची के लिए, कृपया अपनी नज़दीकी आरबीएल बैंक शाखा में जाएँ या www.rbl.bank.inपर विजिट करें.
13. अगर कर्ज़दारों की केवाईसी विवरण में कोई बदलाव होता है, जिसमें पंजीकृत पते में बदलाव, बिज़नेस प्रोफेशन में बदलाव शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, तो इसकी जानकारी तुरंत आरबीएल बैंक को दी जानी चाहिए.
14. अगर इस सुविधा के तहत ओडी अकाउंट और ओवरड्राफ्ट को क्रमशः 'आउट ऑफ़ ऑर्डर' और एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो कर्ज़दार के सभी दूसरे लोन अकाउंट को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा. उक्त कर्ज/ओडी अकाउंट को नियमित करने के लिए, कर्ज़दार को सभी बकाया राशि और/या ब्याज और दूसरे प्रभार, जैसा भी मामला हो, का तुरंत भुगतान करना होगा.

A-OD-FD-First Party/30102025/Vers_Oct

संदर्भ सं./टर्म डिपॉजिट नं.
(जो लागू न हो उसे काट दें)

RBL BANK
apno ka bank

पावती दिनांक D D M M Y Y Y Y

ओवरड्राफ्ट खाते के लिए आपके आवेदन के लिए धन्यवाद. हम आपके निवेदन की प्राप्ति और मंज़ूरी के लिए नोट पर लियन मार्किंग की पुष्टि करते हैं.

शाखा का नाम ____________________

कर्ज़दार का नाम ____________ संयुक्त कर्ज़दार 1 ____________ संयुक्त कर्ज़दार 2 ____________

सीआईएफ 1: ____________ सीआईएफ 2: ____________ सीआईएफ 3: ____________

बैंक अधिकारी का नाम (जाँचकर्ता) ____________ कर्मचारी आईडी ____________ दिनांक D D M M Y Y Y Y

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

शुल्क और प्रभार देखने के लिए स्कैन करें

नियम और शर्तें देखने के लिए स्कैन करें

कस्टमर सर्विस: +91 22 6232 7777

हमें ईमेल करें:: निवासी/गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए: customercare@rbl.bank.in
अनिवासी ग्राहकों के लिए: nribanking@rbl.bank.in

एसएमएस बैंकिंग: सभी एसएमएस बैंकिंग पूछताछ के लिए **HELP** टाइप करें और **9223366333** पर भेजें

मायबैंक: आरबीएल मायबैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप का नवीनतम वर्जन डाउनलोड करने के लिए यहां स्कैन करें

इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करें: www.rbl.bank.in और अपने अकाउंट तक आसान पहुँच का आनंद लें

10. उत्पाद के नियम और शर्तें: (जारी...)

15. **एसएमए/एनपीए वर्गीकरण:** कर्ज़दारों के अकाउंट को आरबीएल बैंक द्वारा नियत दिनांक पर दिन के आखिर की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्पेशल मेंशन अकाउंट (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करके बकाया के रूप में चिन्हित किया जाएगा, भले ही ऐसी प्रक्रिया को चलाने में कितना भी समय लगे.अकाउंट को नीचे दिए गए आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, यदि निम्न अवधि के लिए बकाया बैलेंस लगातार स्वीकृत सीमा या निकासी अधिकार, जो भी कम हो, से ज़्यादा रहता है:

एसएमए सब-कैटेगरी	अवधि
एसएमए-1	30 दिनों से ज़्यादा और 60 दिनों तक
एसएमए-2	60 दिनों से ज़्यादा और 90 दिनों तक
एनपीए	>=90 दिन

उदाहरण: अगर किसी ओडी/लोन अकाउंट का नियत दिनांक 31 मार्च, 2021 है, और कर्जदाता संस्था द्वारा इस तारीख के लिए दिन के आखिर की प्रक्रिया चलाने से पहले पूरा बकाया नहीं मिलता है, तो बकाया राशि की तारीख 31 मार्च, 2021 होगी. यदि यह बकाया रहता है, तो यह अकाउंट 30 अप्रैल, 2021 को दिन के आखिर की प्रक्रिया चलाने पर एसएमए-1 के रूप में टैग हो जाएगा, यानी लगातार 30 दिन बकाया रहने के बाद. इसलिए, उस अकाउंट के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तारीख 30 अप्रैल, 2021 होगी.

इसी तरह, अगर अकाउंट बकाया बना रहता है, तो 30 मई, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलने पर इसे एसएमए-2 के तौर पर टैग किया जाएगा, और अगर यह आगे भी बकाया रहता है, तो 29 जून, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलने पर इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा.

16. केएफएस की वैधता सिर्फ़ मौजूदा आवेदन के लिए है, बशर्ते सिक्योरिटी कोलेटरल और उत्पाद प्रस्तुतियों में कोई बदलाव न हो.
17. **रिकवरी एजेंट:** अगर कोई रिकवरी एजेंट असाइन किया जाता है, तो ऐसे रिकवरी एजेंट के विवरण कर्जदार को रिकवरी एजेंट द्वारा वसूली की कार्रवाई शुरू करने के लिए कर्जदार से संपर्क करने से पहले बता दी जाएंगी.
18. वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया कर्जदार हेतु **फेयर प्रैक्टिस कोड**, ओवरड्राफ्ट पर लागू होगा.
19. कर्जदार नज़दीकी शाखा में जाकर ओवरड्राफ्ट/फिक्स्ड डिपॉज़िट सुविधा को संशोधित या बंद कर सकते हैं.
20. मुख्य बैंक नीतियों जैसे निजता नीति, शिकायत निवारण, डीएलए के विवरण और सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें आरबीएल बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. कृपया हमारी वेबसाइट www.rbl.bank.in. पर विज़िट करें.
    निजता नीति के लिए पाथ-www.rbl.bank.in >> Bank Policies >> Privacy Policy
21. कर्जदार सहमत है कि, अगर अंतर्निहित फिक्स्ड डिपॉज़िट एक नॉन-रेज़िडेंट फिक्स्ड डिपॉज़िट (एनआरई/एनआरओ/एफसीएनआर) है, तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट में कोई भी पॉजिटिव बैलेंस आरबीएल बैंक द्वारा कर्जदार के एनआरओ सेविंग्स बैंक अकाउंट में अंतरित किया जा सकता है, जैसा कि इस आवेदन फॉर्म में बताया गया है और ऐसे अंतरण के लिए आरबीएल बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा.

मैं/हम घोषणा करते हैं, पुष्टि करते हैं, सहमत हैं:

क. कि आवेदन फॉर्म में दिए गए सभी विवरण और जानकारी सभी मामलों में सही, सटीक, पूर्ण और अद्यतन हैं और मैंने/हमने कोई भी जानकारी नहीं छिपाई है.

ख. कि मेरे/हमारे खिलाफ कोई दिवालियापन शुरू नहीं किया गया है और न ही मुझे/हमें कभी दिवालिया घोषित किया गया है. मैंने/हमने यहां बताए गए सभी नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनसे सहमत हैं, और आरबीएल बैंक की वेबसाइट www.rbl.bank.in पर प्रकाशित होने वाले सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं, जो आरबीएल बैंक के साथ मेरे/हमारे सभी मौजूदा और भविष्य के खातों को खोलने और एटीएम/डेबिट कार्ड/मोबाइल बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग/फोन बैंकिंग/बिल भुगतान सुविधा आदि सहित विभिन्न सेवाओं से संबंधित हैं.

☐ मेरे/हमारे कर्जदार/ग्राहक आईडी के तहत अद्यतन की गई मेरी/हमारी केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं है (यदि लागू हो तो चिन्ह लगाएँ, अन्यथा नया सीआईएफ जमा करें).

कर्जदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 1 के हस्ताक्षर	संयुक्त कर्ज़दार 1/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 2 के हस्ताक्षर	संयुक्त कर्ज़दार 2/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 3 के हस्ताक्षर
कर्ज़दार का नाम/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 1 का नाम	संयुक्त कर्ज़दार 1 का नाम/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 2 का नाम	संयुक्त कर्ज़दार 2 का नाम/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 3 का नाम

A-OD-FD-First Party/30102025/Vers_Oct

सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

1. ओवरड्राफ्ट सुविधा के बदले गिरवी रखी गई टर्म डिपॉज़िट को तब तक उसी अवधि के लिए मौजूदा ब्याज दर पर अपने आप नवीनीकृत किया जाएगा, जब तक उसे कोलैटरल से हटा नहीं दिया जाता या बैंक को नवीनीकरण से पहले कोई बदलाव का निर्देश नहीं मिलता.
2. रिकरिंग डिपॉज़िट, नॉन-कॉलेबल / एसीई डिपॉज़िट, स्मार्ट डिपॉज़िट, टैक्स सेवर डिपॉज़िट, मौजूदा लियन मार्क डिपॉज़िट, माइनर डिपॉज़िट के प्रति ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति नहीं है.
3. ओवरड्राफ्ट अकाउंट चालू खाते का एक प्रकार है जिसमें सुविधा स्वीकृत की जाएगी. कर्जदार आरबीएल बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए आरबीएल बैंक की मानक शुल्क अनुसूची के अनुसार आरबीएल बैंक को शुल्क का भुगतान करेगा. शुल्क की नवीनतम अनुसूची के लिए, कृपया अपनी नज़दीकी आरबीएल बैंक शाखा में जाएं या www.rbl.bank.in. पर विज़िट करें.
4. यदि ओवरड्राफ्ट सुविधा एक चालू खाते के माध्यम से दी जाती है, जो एक गैर-ब्याज वाला खाता है, तो क्रेडिट बैलेंस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा.
5. प्रदान की गई ओडीएफडी सुविधा समापन दिनांक पर डिफ़ॉल्ट रूप से रिन्यू हो जाएगी, जब तक कि कर्जदार से समापन दिनांक से पहले बंद करने या निपटारे के लिए अनुरोध प्राप्त न हो जाए. नवीनीकरण पर, ओडी अकाउंट ओवरड्राफ्ट की ब्याज दर (आरओआई) एफडी कोलैटरल में बदलाव के आधार पर बदल सकती है.
6. एफडी रिन्यूअल पर, आरबीएल बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ई-फिक्स्ड डिपॉज़िट एडवाइस भेजी जाएगी. पंजीकृत ईमेल आईडी में किसी भी बदलाव के लिए आरबीएल बैंक को सूचित करना कर्जदार की ज़िम्मेदारी होगी. यदि आपको ई-फिक्स्ड डिपॉज़िट एडवाइस नहीं मिलती है, या एफडी एडवाइस की आवश्यकता है, तो कृपया नज़दीकी आरबीएल बैंक शाखा में जाएं.
7. आरबीएल बैंक आपके डिपॉज़िट पर कर काटने का हकदार है. टीडीएस राशि ब्याज घटक या मूल राशि से काटी जा सकती है, यदि समय से पहले बंद करने या टीडीएस सीमा से अधिक होने के कारण कोई कमी होती है, जहां टीडीएस छूट प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है.
8. यदि इस सुविधा के तहत ओडी अकाउंट और लोन को क्रमशः 'आउट ऑफ ऑर्डर' और एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो कर्जदार के अन्य सभी लोन अकाउंट को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा. उक्त लोन/ओडी अकाउंट को रेगुलराइज़ करने के लिए, कर्जदार को डिफ़ॉल्ट में सभी बकाया राशि और/या ब्याज और अन्य शुल्क, जैसा भी मामला हो, तुरंत चुकाने होंगे.
9. डिपॉज़िट को समय से पहले निकालने पर आरबीएल बैंक की नीति के अनुसार दंडात्मक दर लगेंगे. दंडात्मक दर के लिए, कृपया हमारे शाखा एग्जीक्यूटिव से संपर्क करें या हमारी वेबसाइट www.rbl.bank.in.पर विज़िट करें.
10. जॉइंट टर्म डिपॉज़िट के लिए जिसमें ऑपरेटिंग निर्देश या तो या जीवित या पूर्व या जीवित हैं, आरबीएल बैंक परिपक्वता से पहले डिपॉज़िट का भुगतान करेगा यदि ऐसा अनुरोध प्रचालन संबंधी निर्देशों के अनुसार लिखित रूप में और बैंक द्वारा समय-समय पर बताए गए संबंधित दस्तावेजों के साथ प्राप्त होता है. यह तब भी लागू होगा जब डिपॉज़िट की परिपक्वता से पहले किसी भी जॉइंट डिपॉज़िटर की मृत्यु हो जाती है. परिपक्वता से पहले ऐसा कोई भी भुगतान आरबीएल बैंक के दायित्वों का एक वैध डिस्चार्ज माना जाएगा, जिसमें नामिती/जमाकर्ता के कानूनी वारिस या उनके तहत दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है और आरबीएल बैंक इसके कारण होने वाले किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा. यह अनुच्छेद तभी लागू होता है जब संयुक्त खाता धारक आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं.
11. विस्तृत सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें देखने के लिए, www.rbl.bank.in.>> Terms & Conditions.

11. केवल शाखा कार्यालय के उपयोग हेतु

प्राप्ति का दिनांक D D M M Y Y Y Y ब्रांच कोड

☐ ओडीटीडीआरः ओवरड्राफ्ट फिक्स्ड डिपॉजिट निवासी (पहला पक्ष)

☐ ओडीएनआरओः ओवरड्राफ्ट फिक्स्ड डिपॉजिट– अनिवासी सामान्य (पहला पक्ष) ☐ अन्य ओडीएफडी स्कीम कोड

मैं पुष्टि करता हूं कि एफडी के प्रति ओवरड्राफ्ट देते समय कर्जदारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की गई है.

मैं इसके द्वारा पहचान और पते की पुष्टि करता हूं. आवेदन पत्र मेरी उपस्थिति में भरा और हस्ताक्षरित किया गया है. मूल दस्तावेजों का सत्यापन मेरे द्वारा किया गया है.

कर्मचारी हस्ताक्षर कर्मचारी कोड

हस्ताक्षर का सत्यापन नाम और हस्ताक्षर द्वारा किया गया कर्मचारी कोड

हस्ताक्षर सत्यापन इनके द्वारा किया जाना है – एसडीए/एसडीए ऑथोराइजर/ आईएसएम/एसडीएम/सीएसए/ सी. सीएसए/ बीएम

स्वीकृति [शाखा प्रबंधक का नाम/हस्ताक्षर]

मेकर– एसडीए/एसडीए ऑथोराइजर/ आईएसएम/ एसडीएम/ सीएसए/ सी. सीएसए चेकर–एसडीए ऑथोराइजर/ सी. सीएसए/एसडीएम/बीएम

अस्वीकृति पत्र भेजने के लिए पीओडी नं.

जोड़े गए अनुलग्नकः ☐ पैन/फॉर्म 60

*सोर्सिंग ब्रांच कोड *एलसी कोड * एलजी कोड *बस.सेग. *जोखिम वर्गीकरण ☐ एल ☐ एम ☐ एच

कर्जदार/ ग्राहक विभाग

एनओसी/आरपीयू उपयोग अनुभाग

ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत रु. ब्याज दर % प्रति वर्ष के साथ, उल्लिखित फिक्स्ड डिपॉजिट की सिक्योरिटी के प्रति % मार्जिन के साथ.

☐ ओडी अकाउंट नंबर

सेंट्रल डेस्क पर प्राप्ति का दिनांक D D M M Y Y Y Y

हस्ताक्षर का सत्यापन नाम और हस्ताक्षर द्वारा किया गया कर्मचारी कोड

A-OD-FD-First Party/30102025/Vers_Oct